

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 मई 2022—वैशाख 15, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2022

क्र. एफ 3-4-2022-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा-13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्वारा श्री मुंशीसिंह चन्द्रावत, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष तक के लिये संभागीय सतर्कता समिति, उज्जैन में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गिरीश शर्मा, उपसचिव.